

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रार्थना पत्र / 123 / 13

दर्ज दिनांक:—29.10.13

बलवीरसिंह बनाम मोहनसिंह
अभिभाषक बी.एल.मथुरिया कुशलसिंह भगौर

निर्णय

दिनांक:—16.01.18

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.05.2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official